

9C MS
2020/00056
08/02/21

अज्ञ अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. रफीक खां

हलका भूका वडासिंह

पुत्र श्री. रहमान खां जाति मुसलमान

निवासी भूका वडासिंह

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 53/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तागिल की
23-12-2020	पटवारी हलका <u>भूका वडासिंह</u> ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2075 में मौजा <u>भूका वडासिंह</u> के खसरा नंबर <u>27/13</u> रकबा <u>1000 वर्ग फीट</u> किस्म भूमि <u>कृ. भु. 3/1</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>11-01-2021</u> को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
11-1-2021	<u>तहसीलदार सिणधरी</u> <u>जिला-वाड़मेर</u> पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पीठालीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जौधपुर पंचरतने पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश हो। 11-01-2021	<u>रफीक</u>
18/1/2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। गैर सायल ने जवाब देते समय चर्चा हो दिया बाकि पत्रावली दिनांक 27/01/2021 को पेश हो।	<u>रफीक</u>

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामग्री की तरफ से उन्हे वकील ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर पत्रावली दि. 10-2-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीबालीक अधिकारी आठ दिवस अगुही पर पचारे छे पत्रावली दिनांक 17-2-2021 को पेश है।

10-2-2021

17-2-2021

~~पत्रावली पेश हुई। गैर सामग्री अनुपस्थित। गैर सामग्री को जवाब हेतु अधिकार डेवलर दिनांक पत्रावली दिनांक 22-2-2021 को पेश है।~~

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-02-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सामग्री अनुपस्थित। गैर सामग्री को जवाब हेतु बार-2 अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। गैर सामग्री को अतिक्रमी मानते हुए पत्रावली जैसल सुमार है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली जैसल सुमार होकर दाखिल इफ्तक है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर